राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.22(1)न्याय/22 **दिनांक :** 08.02.2022

श्री ओम प्रकाश शर्मा
उप विधि परामर्शी
निदेशालय कृषि विभाग,
जयपुर।

विषयः— राजकीय आदेशों की अवहेलना के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने बाबत्।

उपरोक्त विषय में लेख है कि इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 24.01.2022 द्वारा आपका स्थानान्तरण उप विधि परामर्शी, निदेशालय कृषि विभाग, जयपुर से नगरीय विकास एवं आवासन, सचिवालय, जयपुर में उप विधि परामर्शी के रिक्त पद पर किया गया था। आप द्वारा आज दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं किया गया है, जबकि इस विभाग के आदेश क्रमांक प.22(4)न्याय/2002 दिनांक 03.07.2002 के अनुसार उक्त आदेश की पालना 7 दिवस में की जानी थी। आप द्वारा राजकीय आदेशों की अवहेलना की गई है, इसे राज्य सरकार द्वारा गम्भीरता से लिया गया है, क्यों नहीं आपके विरूद्ध अनुशनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावे।

अतः आप अविलम्ब कार्यग्रहण करते हुए अपना स्पष्टीकरण 5 दिवस के भीतर अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा की आप उपरोक्त तथ्यों से सहमत है व नियमानुसार आपके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम —16 के तहत आपके विरूद्ध विधि अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

8.2.2022

(पुरूषोत्तम लाल सैनी)
संयुक्त शासन सचिव

E:\Piyush 2020\Legal Data\2021-22\Order.docx